बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो0ले03/3–6/2023– /यो0वि0,पटना,दिनांक मई, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1 जमुई की मरम्मति हेतु कुल ₹ 77,448/– (सतहतर हजार चार सौ अड़तालीस रूपये) मात्र की राशि की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय के लिए विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु निम्नांकित सारणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹77,448/– (सतहतर हजार चार सौ अड़तालीस रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती हैः–

क्र0	**कार्यालय का नाम**	**योजना का नाम**	**राशि**
1	जिला योजना भवन, जमुई	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, जमुई के कार्यालय का मरम्मती कार्य	₹77,448/–
कुल			**₹77,448/–**

(सतहतर हजार चार सौ अड़तालीस रूपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–2053– जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 094–अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष– 0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना के पत्रांक 932 दिनांक 30.08.2023 एवं कार्यपालक अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1 जमुई के पत्रांक 468 दिनांक 15.02.2025 के आलोक में उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग इसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

7. राशि के निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1 जमुई योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(तिलकेश्वर झा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023– /यो0वि0,पटना,दिनांक मई, 2025

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023–375(स्वी0)/यो0वि0,पटना,दिनांक 20 मई, 2025

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।

सरकार के अवर सचिव